स्पीडपोस्ट

प्रेषक,

मण्डलायुक्त,
गोरखपुर।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
शिक्षा अनुभाग–7,
लखनऊ।

संख्याः /सत्ताईस–43(2008–09) दिनांक 18 नवम्बर, 2010

विषयः प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 04.11.2010 में लिये गये निर्णय की सूचना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्रस्तर – 5 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 04.11.2010 को सम्पन्न हुई, जिसमें सेण्ट पाल पब्लिक स्कूल, सलेमपुर, देवरिया को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया।

शासनादेश संख्याः 2762/15–13–91–41461/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं निर्धारित बिन्दुओं पर उप जिलाधिकारी, सलेमपुर, देवरिया से सेण्ट पाल पब्लिक स्कूल, सलेमपुर, देवरिया की जांच करायी गयी। उप जिलाधिकारी, सलेमपुर, देवरिया की जांच आख्या दिनांक 03.11.2010 एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर की स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 30.09.2010 के आधार पर मण्डलीय समिति द्वारा सेण्ट पाल पब्लिक स्कूल, सलेमपुर, देवरिया को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में सहर्ष सहमति प्रदान कर दी गयी है। मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 04.11.2010 का कार्यवृत्त संलग्न है।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(पी०के०महान्ति)
मण्डलायुक्त।

संख्या [illegible] / सत्ताईस–43 (2008–2009) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शिक्षा निदेशक / अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।
3. जिलाधिकारी, देवरिया।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया।
6. प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, **सेण्ट पाल पब्लिक स्कूल**, सलेमपुर, देवरिया।

(पी०के० महान्ति)
मण्डलायुक्त।

सेण्ट पाल पब्लिक स्कूल, सलेमपुर, देवरिया को कौंसिल फार दि सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में शिक्षा अनुभाग–7 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1916/15–7–09–1(299) /2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 द्वारा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता गठित समिति की बैठक दिनांक 04.11.2010 का कार्यवृत्त –

शासनादेश संख्या: 1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्रस्तर–5 के अनुक्रम में गठित मण्डलीय समिति की उपर्युक्त विषयक बैठक दिनांक 04.11.2010 को आहूत की गयी, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये –

1. मण्डलायुक्त, गोरखपुर — अध्यक्ष।
2. जिलाधिकारी, देवरिया — सदस्य।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर — सदस्य सचिव।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया — सदस्य।

गोरखपुर मण्डल के जनपद देवरिया में स्थित शिक्षण संस्था **सेण्ट पाल पब्लिक स्कूल, सलेमपुर, देवरिया** को सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के प्रस्ताव जांचोपरान्त मण्डलीय समिति को प्राप्त हुआ है।

शासनादेश संख्या: 2762/15–13–91–41461/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रारूप पर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु उपर्युक्त विद्यालय द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम मण्डल, गोरखपुर को निर्धारित प्रारूप एवं शुल्क के साथ आवेदन किया गया है, जिस पर मण्डलीय समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

विद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर द्वारा समस्त अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद स्थलीय निरीक्षण दिनांक 30.09.2010 को करने के बाद प्रस्ताव दिनांक 02.10.2010 को मण्डलीय समिति को वर्तमान शासनादेशानुसार विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर द्वारा दिनांक 30.09.2010 को किये गये अपनी स्थलीय निरीक्षण आख्या में अंकित किया गया है कि विद्यालय जनपद

देवरिया के सलेमपुर तहसील में टाउन एरिया सलेमपुर में स्थित है। विद्यालय का पंजीकरण कुन्ता देवी मेमोरियल सेवा संस्थान समिति सुगही वार्ड नं०-6 टीचर कालोनी सलेमपुर, देवरिया के नाम पंजीकरण प्रमाण पत्र सं० 47/2001-2002 दिनांक 26.04.2001 को कराया गया है जो दिनांक 25.04.2011 तक विधिमान्य है। आवेछन शुक्ल रू० 10,000-00(दस हजार रूपये) कोषागार भारतीय स्टेट बैंक सलेमपुर में चालान सं० 34 दिनांक 03.08.2010 को जमा किया गया है। प्रस्तुंत खतौनी की नकल दिनांक 04.08.2010 के अनुसार ग्राम बरसीपार, परगना सलेमपुर, तहसील सलेमपुर में खाता सं०० 24 के गाटा सं० 1848 रकबा 0.235 हे० भूमि में से 0.156 हे० भूमि स्कूल के नाम है। उक्त के अतिरिक्त रीमती साधना पत्नी विनोद के नाम सलेमपुर देवरिया में कुल लगभग 0.303 हे० भूमि है, जिसे 30 वर्ष की लीज पर दिनांक 25.08.2010 को संस्था के नाम पंजीकृत कराया गया है। विद्यालय भवन धरातल व प्रथम तल व द्वितीय तल निर्मित है, जिसमें कुल 19 कक्षाकक्ष हैं। विद्यालय साफ सुथरा है। पानी, बिजली एवं शौचालय आदि की समुचित व्यवस्था है। विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित कुल 09 शिक्षक कार्यरत है, जिसमें 7 बी०एड० एवं 2 बी०पी०एड० है। 2 लिपिक, 1 पुस्तकालयाध्यक्ष एवं 3 परिचारक तथा 3 वाहन चालक कार्यरत हैं। सभी अर्ह हैं। पंजीकृत छात्रों की संख्या 449 है। शिक्षण सामग्री 5810.00 मूल्य की है। पुस्तकालय में कुल 1505 पुस्तके हैं, जिनका मूल्य रू० 167100.00 है। विज्ञान सामग्री, क्रीड़ा सामग्री, फर्नीचर, प्राथमिक उपचार आदि की व्यवस्था है। वेतन भुगतान नगद किया जाता है। कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनायी गयी है। चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा विगत 2 वर्ष का आय-व्यय विवरण दिया गया है। 02 किमी की परिधि में कोई सी०बी०एस०ई० बोर्ड की मान्यता प्राप्त करने के लिए 2 अन्य विद्यालय प्रयासरत हैं। विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र लगा हुआ है। विद्यालय की आवश्यकता है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या मण्डलीय समिति को दिनांक 02.10.2010 को विचारण हेतु पत्रावली सहित प्रेषित की गयी है, जिस पर इस कार्यालय के पत्र संख्या 702/सत्ताईस-43(2008-09) दिनांक 25.10.2010 द्वारा उप जिलाधिकारी, सलेमपुर, देवरिया से निम्नांकित बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी –

1. विद्यालय स्थापित किये जाने की क्षेत्रीय आवश्यकता एवं शहरी क्षेत्र में 2 किलोमीटर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलोमीटर क्षेत्र में स्थित सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों

के नाम तथा इस विद्यालय के स्थापित होने से उन पर पड़ने वाले प्रभाव का संक्षिप्त विवरण।

2. सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीयन एवं उनकी अर्हता।
3. कार्यरत कर्मचारियों/शिक्षकों की वेतन तथा सेवा शर्तें।
4. भूमि एवं भवन की स्थिति (खतौनी, भू–चित्र एवं नजरी नक्शा सहित)
5. प्रयोगशाला/पुस्तकाल तथा अन्य शिक्षण सामग्री।
6. क्रीड़ास्थल की उपलब्धता एवं उसका क्षेत्रफल।
7. विद्यालय के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत तार गुजरता है। – हॉ/नहीं।
8. अन्य कोई बिन्दु (जो विद्यालय से सम्बन्धित हो)

उप जिलाधिकारी, सलेमपुर, देवरिया ने अपने पत्र सं० 337/आ०लि० दिनांक 03.11.2010 द्वारा उपरोक्त वांछित बिन्दुओं पर अपनी सु–स्पष्ट आख्या प्रेषित की है, जिसके अनुसार प्रश्नगत विद्यालय नगर पंचायत सलेमपुर के अन्तर्गत स्थित है। बच्चों के पठन पाठन के लिए विद्यालय का होना आवश्यक है। इस विद्यालय के दो किलोमीटर के अन्दर 1. बापू इ०कालेज, सलेमपुर, 2. गौतम बुद्ध हाई स्कूल सलेमपुर, 3. लिटिल फलावर हाईस्कूल सलेमपुर, 4. सेन्ट जेवियर्स हाईस्कूल सलेमपुर, 5. महाजन जू०हा०स्कूल सलेमपुर, 6. कस्तूरबा गांधी बालिका हाईस्कूल, 7. पूर्वांचल पब्लिक हाईस्कूल सलेमपुर हैं। इस विद्यालय के होने से उपरोक्त विद्यालयों पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। विद्यालय की सोसायटी के नवीनीकरण प्रमाण पत्र सं० 69–2006–07. फाईल संक्र० जी०–32541 कुन्ती देवी मेमोरियल सेवा संस्थान समिति सुगही वार्ड नं० 6 टीचर कालोनी सलेमपुर जनपद देवरिया के नाम से है। उपलब्ध कराये गये वेतन बिल रजिस्टर के अनुसार प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, सात अध्यापक, दो कलर्क, एक लाईब्रेरियन, तीन चपरासी, तीन ड्राईवर कुल 18 अदद कर्मचारी हैं। विद्यालय के नाम संलग्न उद्धरण खतौनी के अनुसार ग्राम बरसीपार में 0.156–2/3 हे० भूमि है तथा ग्राम जमुआ में 0.303 हे० भूमि 30 वर्ष के लिए पट्टे पर ली गयी है। भवन का नजरी नक्शा संलग्न है। पट्टे पर ली गयी भूमि खाली है। प्रयोगशाला व पुस्तकालय का कमरा विद्यालय के पास उपलब्ध है। ग्राम बरसीपार में विद्यालय के नाम अंकित भूमि 0.156–2/3 हे० क्रीड़ास्थल के लिए उपलब्ध है। विद्यालय भवन के ऊपर से हाईटेंशन तार नहीं गुजरता है।

मण्डलीय समिति द्वारा सेण्ट पाल पाब्लिक स्कूल, सलेमपुर, देवरिया के प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर की स्थलीय जांच आख्या दिनांक 30.09.2010 तथा उप जिलाधिकारी, सलेमपुर, देवरिया की

आख्या दिनांक 03.11.2010, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, का अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। शासनादेश संख्याः 2762/15–13–91–41461/91 दिनांक 30 नवम्बर, 1991 में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रारूप के अनुसार सभी अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं। विद्यालय के नाम से मानक के अनुरूप भूमि 30 वर्ष के लिए पंजीकृत लीज पर ली गयी है। भवन तथा अन्य आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हैं। क्रीड़ास्थल हेतु विद्यालय के पास भूमि है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इस विद्यालय को स्थापित करने से इस क्षेत्र की शिक्षा का स्तर सुधरेगा।

उक्त के परिपेक्ष्य में मण्डलीय समिति **सेण्ट पाल पाब्लिक स्कूल, सलेमपुर, देवरिया** को अनापत्ति प्रमांण पत्र निर्गत करने हेतु सहर्ष सहमति प्रदान करती है। तद्नुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय तथा सभी सम्बन्धित को अग्रेतर कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

प्र० जिला विद्यालय निरीक्षक,
देवरिया।

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

प्र० जिलाधिकारी,
देवरिया।

(पी०के० महान्ति)
मण्डलायुक्त।

कार्यालय आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

संख्या 1196 /सत्ताईस–43 (2008–2009) दिनांक 18 नवम्बर, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. शिक्षा निदेशक/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ।
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार, नई दिल्ली।
4. जिलाधिकारी, देवरिया।
5. संयुक्त शिक्षा निदेशक, सप्तम् मण्डल, गोरखपुर।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया।
7. प्रबन्धक, सेण्ट पाल पाब्लिक स्कूल, सलेमपुर, देवरिया।

(पी०के० महान्ति)
मण्डलायुक्त।

Principal
St. Paul Sr. Sec. School
Salempur, Deoria

Manager
St. Paul Public School
Salempur, Deoria